REVIEW AND ANNUAL REPORT AND STATEMENT OF ACCOUNTS WITH C AND AG COMMENTS THEREON OF ORISSA ROAD TRANSPORT CO. LTD., BERHAMPUR (GUNJAM) FOR 1971-72

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Review by the Government on the working of the Orissa Road Transport Company Limited, Berhampur (Ganjam) for the year 1971-72.

(ii) Annual Report of the Orissa Road Transport Company Limited, Berhampur (Ganjam), for the year 1971-72.

(iii) Directors' Report and statement of accounts for the year 1971-72 of the Orissa Road Transport Company Limited, Behrampur (Ganjam) and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above papers. [*Placed in Library See No.* LT-6462/74]

13.27 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED SALE OF LAND UNDERLYING TERRITORIAL WATERS BY MAHARASHTRA GOVERNMENT

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष जी, आप ने मुझे समुद्र के नीचे जो जमीन है उस की मिल्कियत का सवाल उठाने की अनुमति दी है । हमारे संविधान में अनुच्छेद 297 इस प्रकार है :

"All lands, minerals and other things of value underlying the oceans within the territorial waters of the Continental Shelf of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union."

अध्यक्ष महोदय, इस का मतलब है कि टैरीटोरियल वाटर्स के नीचे, समुद्र के नीचे जो जमीन है उस के ऊपर मिल्कियत केन्द्र की है। लेकिन इस प्राविधान के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने जो रेवेन्यू कोड पास किया है उस के सेक्शन 20 के तहत समुद्र के नीचे जो जमीन है उस की मिल्कियत अपने हाथ में लेली है । और बम्बई में एक अर्से से बैक बे रिक्लेमेशन स्कीम चल रही है जिस के तहत 161 एकड़ जमीन विभिन्न लोगों के बीच में बेची गई है ।

एक एकड़ बेचने पर सरकार को कम से कम 1 करोड़ 70 लाख मिलता है । कई जमीनें इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, ओवरसीज आदि बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेची गई है । एक जमीन तो पांच हजार रुपये फी स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से बेची गई है ।

मैं दो तीन सवाल उठाना चाहता हूं जिन की सफाई कानून मंत्री दें । पहला यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू कोड के सेक्शन 20 के तहत समुद्र के नीचे की जमीन मिल्कियत राज्य सरकार की और राज्य की होती है या संविधान की जो धारा मैंने बताई है उसके अनुसार केन्द्र की होती है ? दूसरा यह है कि क्या राज्य सरकार को यह जमीन भर कर बेचने की छूट किसी कानून के तहत केन्द्र सरकार ने दी है ? अगर कोई कानून नहीं है तो इनको यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ ? क्या सरकार को यह भी समाचार मिला है कि कुछ बैंक बे की ऐसी जमीन है जिस को बिना भरे ही बेच दिया गया है और कहा गया कि भर कर जो आपको बनाना है बनाने का काम आप करो ? 166 एकड़ जो जमीन बेची गई है जानकार सूत्रों के अनुसार, मुझे पता चला है है कि उसको बेचते समय बड़े बड़े पूंजीपतियों से बहुत सारा पैसा अंडर दी टेबल लिया गया है और यह रकम करोड़ों की है । हो सकता है कि इस में से कुछ केन्द्र को कांग्रेस के लिए भी कुछ चन्दा मिला हो, मुझे पता नहीं है । लेकिन यह जो गैर

[श्री मधु लिमये]

कानूनी काम हो रहा है इसकी ओर से सरकार अपनी आखे क्यों मूदे हुई हैं ? क्या इसको पता नही है कि जो जमीन बेची गई है पूंजीपतियो को इसमें उन से अंडर दी टेबल भी पैसा लिया गया है।

एक माननीय सदस्य लीज पर दी गई है।

श्री मधु लिमये . ठीक है 99 साल की लीज है । छः परसेंट या किसी और हिसाब से एनुअल लीज तैयार करते हैं। लीज कहिये, कुछ भी कहिये लेकिन केन्द्र की जो मिलकियत है उस पर राज्य आक्रमण कर रहा है, पूंजीपतियो को जमीन दे रहा है और इतना ही नही उस मे पैसा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। सको ससद कभी बरदाश्त नही कर सकती है । मन्त्री महोदय इसका खुलासा करे ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर को इसको भेज दिया जाएगा।

श्री मधु लिमये : अब कुछ नही कहूंगा । कई दिन हो गये मैंने नोटिस भेजा था। अपने दफ्तर से पूछे कल मैंने दूसरी कापी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरफ से तो आज ही हुआ है । इसको भी आपने ऐसा बना लिया है जैसे कालिंग अटेंशन हो। इसको मिनिस्टर के पास भेज दिया जाएगा ।

श्री मधु लिमये . चोरी हो रही है और ये चुप बैठे है ।

13.32 hrs

GENERAL BUDGET, 1974-75—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER : The time left is just enough for the Finance Minister to reply. But, one or two Members from both sides of the House can be accommodated. The Finance Minister will reply at 3 P.M.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH) : The Finance Minister may be called at 3.30.

MR. SPEAKER : The members will welcome it because they want more time to speak. The Finance Minister will be called at 3.30.

Shri Vidyalankar, who was on his legs, may continue.

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : कल मैं कह रहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जब तक मौलिक परिवर्तन नही होता तब तक हम बहुत सी समस्याओ को हल नहीं कर पायेंगे। मैं यह भी कह रहा था कि हमारे यहां एक सामानान्तर ब्लैकमार्किट का रुपया चल रहा है। इसके सबंध में इस बजट मे कोई चर्चा नहीं है । मुझे खुशी है कि कल राज्य सभा मे उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने इसकी तरफ इशारा किया और विश्वास दिलाया कि इस ब्लैकमनी की रोकथाम करने के लिए वह प्रयत्न करेगे ।

13.34 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ये प्रयत्न क्या होगे यह हम को पता लगना चाहिये। ये बजट मे जो सकेत इसका है उसके सम्बन्ध म क्या प्रयत्न होगे कुछ नही कहा गया है । बिना प्रयत्नो को जाने हुए यह नही कहा जा सकता है कि कारगर ढग से आप इस समस्या का समाधान कर लेगे। अगर आप यह समझते हैं कि 97 परसेंट से घटा कर 77 परसेंट कर को कर देगे तो ब्लैकमनी की समस्या हल हो जायेगी तो मेरा विश्वास है कि ऐसा नही होगा और इस मे आपको कोई सफलता प्राप्त नही हो सकेगी । जो लोग ब्लैकमनी मे डील करते हैं उनको इसकी आदत पड गई है और वे आसानी से हथियार डालने वाले नही हैं। हमे कुछ कारगर प्रयत्न इस दिशा मे करने पड़ेंगे।

समाजवादी नियंत्रण जहां पर असफल हो रहा पर उसका इलाज यह नहीं है कि हम कदम पीछे हटा लें और समाजवादी जो हमारे मेजर्स हैं उनको ढीला करदे । उसका उपाय यह है कि हम और भी ज्यादा समाजवादी मेजर्स लें और इन उपायो का आश्रय ले। मैं मिसाल देता हूं। कल वित्त मंत्री के भाषण से इस बात का इशारा मिला है कि गेंहूं के व्यापार के बारे में जो नीति है उस में ढील देना चाहते हैं और उसको तबदील करके शायद वह सरकारी